unicef for every child

मिशन निर्मल बांग्ला
हमारी आदत। हमारी शान।

शौच वर्ज्य का प्रबंधन क्यों ज़रूरी है

एक गड्ढे वाले शौचघर, सेप्टिक टैंक या अन्य शौच व्यवस्था से उत्पन्न शौच वर्ज्य को सही प्रकार से संग्रह करने, स्थानांतरित करने एवं सुरक्षापूर्वक निपटान को शौच वर्ज्य का प्रबंधन कहा जाता है। सही प्रकार से इसका प्रबंध न किए जाने से यह मनुष्य के स्वास्थ्य एवं परिवेश के लिए हानिकारक हो उठता है।

शौच वर्ज्य के सही प्रबंधन के विभिन्न उपाय

दो गड्ढे वाले शौचघर

दो गड्ढे वाले शौचघर में, पहला गड्ढा भर जाने पर उसके मुख को बंद करके, दूसरे गड्ढे का मुख खोल दिया जाता है।

इसके 1 साल बाद बंद गड्ढे को खोलने पर खेत में डालने के लिए उपयोगी एवं जीवाणुओं से मुक्त अच्छा खाद प्राप्त होता है।

एक गड्ढे वाला शौचघर एवं सेप्टिक टैंक

टैंक या गड्ढा भर जाने पर, एकत्रित शौच–वर्ज्य को यांत्रिक माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। इन वर्ज्य को सुरक्षापूर्वक ले जाने एवं फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी।

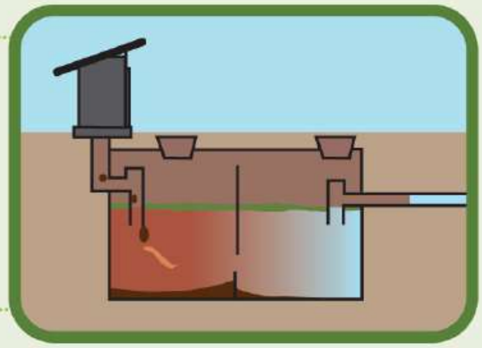

MNB Factsheet A4 Back Hindi

सेप्टिक टैंक के बारे में सलाह

- उत्पन्न होने वाले शौच–वर्ज्य के परिमाण के अनुसार सेप्टिक टैंक का आयतन तय करें।
- सेप्टिक टैंक के नीचे वाले तल को हमेशा ढलाई करके बंद रखें, ताकि नीचे वाली मिट्टी के स्पर्श में न आ सके।
- प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर नियम से सेप्टिक टैंक को साफ कराएं।
- टैंक के भरने या ऊपर बहकर आने तक इंतज़ार न करें। यह शरीर के स्वास्थ्य एवं परिवेश के लिए हानिकारक होता है।
- सही प्रकार से सेप्टिक टैंक न बनाने पर, टैंक से रिसाव होने लगता है। शौचघर के पैन का मुख बंद हो सकता है, सेप्टिक टैंक के इस्तेमाल में परेशानी आती है। शौच वर्ज्य का सही प्रकार से निपटान–प्रबंध नहीं हो पाता है।

सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली न करने पर

शौच वर्ज्य बैक–फ्लो करने लगेगा, दुर्गंध फैलेगी, टैंक के पास वाले घर के फर्श एवं दीवार में डैम्प पकड़ लेगा, नाली से गंदगी के साथ गंदा पानी ऊपर की ओर बहने लगेगा।

ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी

- गाँव में शौच–वर्ज्य के प्रबंधन का मूल्यांकन करते हुए उचित कदम उठाना।
- एक गड्ढे वाले शौचघर के बदले दो गड्ढे वाले शौचघर बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।
- गाँव के लोगों में शौच वाले वर्ज्य के प्रबंधन के संबंध में जागरूकता फैलाना एवं परिवेश और लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के विषय में अवगत कराना।
- सुनिश्चित करना कि यांत्रिक उपाय से ही गड्ढे साफ या खाली किए जाएं।
- जो व्यक्ति शौचघर के गड्ढे को खाली करते हैं एवं सेप्टिक टैंक से गंदगी निकालते हैं, उनका सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना।
- एक गड्ढे वाले शौचघर एवं सेप्टिक टैंक के गड्ढे को मशीन द्वारा खाली किए जाए, सुरक्षापूर्वक वर्ज्य ले जाकर फेंकने की व्यवस्था की जाए, उसकी परिकल्पना पंचायत की कार्यसूची में शामिल करना।
- सुनिश्चित करना कि शौच वाले वर्ज्य के प्रबंधन में सभी नियम और कानून का सही प्रकार से पालन किया जाए।
- शौच–वर्ज्य सेवा प्रदाताओं की संपर्क सूची रखना।